न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 18/2016 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. महेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण हरियाणा निवासी कालूवास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र सुवालाल जाति ब्राह्मण निवासी मोहम्मदपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. कल्याण पुत्र महादेव जाति माली निवासी मोहम्मदपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।
4. भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष एसडीओ दौसा।

अप्रार्थीगण

उजरात अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री जगजीवन राम अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री बजरंग लाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2 अनुपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–:निर्णय:– दिनांक: 25.07.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील रामगढ पचवारा में आराजी खसरा नं0 130 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा स्थित है, जो सिवायचक भूमि थी। उक्त भूमि में से अप्रार्थी सं0 1 ने आवंटन कमेटी के सदस्यों से मिलकर 2 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 29.1.1978 को करवा लिया तथा अप्रार्थी सं0 1 ने खातेदारी दर्ज करवाकर भूमि अप्रार्थी सं0 2 को विक्रय कर दी, जबकि अप्रार्थी सं0 1 का कभी भी आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा नही रहा न कभी उसने काश्त की ना ही अप्रार्थी सं0 1 व 2 का ही कभी कब्जा रहा है तथा उक्त भूमि में वर्तमान में बांध बना हुआ है। इसलिये उक्त आवंटन आदेश दिनांक 29.1.1978 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम पेश किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। बहस हेतु बार–2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी सं.1 एवं अप्रार्थी सं.2 अथवा उनके अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील रामगढ पचवारा स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 130 रकबा

अति० जिला कलक्टर
दौसा

20 बीघा 10 बिस्वा स्थित सिवायचक भूमि थी। जो अप्रार्थी सत्यनारायण ने आवंटन कमेटी के सदस्यो से मिलकर दो बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 29.01.1978 को करा लिया तथा अप्रार्थी सं. 01 ने खातेदारी दर्ज कराकर भूमि अप्रार्थी सं. 02 को विक्रय कर दी। जबकी अप्रार्थी सं0 1 का कभी भी आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा नही रहा न कभी उसने काश्त की ना ही अप्रार्थी सं0 1 व 2 का ही कभी कब्जा रहा है। उक्त भूमि परवर्तमान में बांध बना हुआ है। आवंटन से पूर्व व आवंटन के समय उक्त भूमि पर अप्रार्थीयान का कब्जा नही था तथा भूमि खाली भी नही थी। आवंटन की कार्यवाही मजमे आम मे नही हुई ना ही आवंटन कमेटी का पूरा कोरम ही था। अप्रार्थी स. 01 ने कभी भी भूमि को काश्त नही की ना ही कब्जा रहा। आवंटन फ्राड व मिसरिप्रजेन्टेशन करके कराया है। जबकि नियमानुसार आवंटन होने के बाद प्रथम वर्ष में आधी भूमि व द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि काश्त करना अनिवार्य है। अतः उक्त आवंटन आदेश दिनांक 29.01.1978 को निरस्त फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं01 सत्यनारायण को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 29.1.78 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है जबकि अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि आवंटन आदेश दिनांक 25.6.76 के द्वारा आवंटित की गई है। जिसका नामांतरकरण सं0 107 दिनांक 31.8.77 को खोला जाना मूल अभिलेख में व्यक्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थी सं0 1 ने खातेदारी दर्ज कराकर भूमि अप्रार्थी नं0 2 को विक्रय कर दी। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज भी संलग्न प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रार्थना पत्र 14(4) लगभग 38 वर्ष पश्चात पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने के सम्बन्ध में कोई उचित कारण भी व्यक्त नहीं किया गया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट दौसा से प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये स्वयं के लिये कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है। प्रार्थी के हक एवं अधिकार भी उक्त आवंटन आदेश से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मूल आवंटन आदेश का अवलोकन करने पर अप्रार्थी को आवंटित भूमि के आवंटन आदेश की दिनांक में भी भिन्नता है। प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने का भी कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। इसलिये राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट दौसा से प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official